

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया- आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद संख्या 75/2023

वादीगण-

- 1- रामेश्वरलाल पुत्र खुमाराम
 - 2- छगनलाल पुत्र खुमाराम
 - 3- बाबुलाल पुत्र खुमाराम
 - 4- केसराम पुत्र खुमाराम
 - 5- किशोर पुत्र खुमाराम
 - 6- धानराम पुत्र खुमाराम
 - 7- मोहनीदेवी पत्नी खुमाराम
- जातियान् मेघवाल निवासीयान् ग्राम चौखा तहसील व जिला जोधपुर
बनाम

प्रतिवादीगण-

- 1- खींवरज पुत्र प्रभुलाल जाति भंसाली निवासी-डी-117 शास्त्रीनगर जोधपुर
- 2- शास्त्रिलाल पुत्र कोजमल जाति बांठीया निवासी-आजाद चौक बालोतरा जिला बालोतरा
- 3- संदीप कुमार पुत्र गणपतचन्द पटवारी जाति पटवारी निवासी- रावली गली बालोतरा जिला बालोतरा
- 4- राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार झंवर जिला जोधपुर

वाद बाबत खातेदारी घोषणा रिकर्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम



निर्णय

दिनांक 20/7/2024

वादीगण ने एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा रिकर्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88,188,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा बोरानाडा के खसरा संख्या 32 रकबा 4. 19 बीघा (0.8013 हेक्टेयर) स्थित है जिसे आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

के नाम से संबोधित की जायेगी। उक्त भूमि पूर्व में खातेदार अर्जुन पुत्र सवाई कौम डाढ़ी (मिरासी) की खातेदारी में दर्ज थी। इनके द्वारा पंजीकृत बैचान दरतावेज से वादीगण के पिता/पति खुमाराम पुत्र शिवाराम जाति मेघवाल निवासी चौखा तहसील जोधपुर एवं अन्य 06 व्यक्तियों के पक्ष में कर दिया। जो कि बैचान दिनांक 22.04.1989 को निष्पादित कर दिनांक 24.04.1989 को उप-पंजीयक लूणी प्रो सं० 1 जिल्द संख्या 05 पृष्ठ संख्या 11 क्रम संख्या 111 पर पंजीकृत हैं। इसी आधार वादीगण के पिता/पति का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया। वादीगण व अन्य सदभाविक कृषकों के बीच बंटवाड़ा नहीं हुआ। राजस्व रेकर्ड में शामिलती दर्ज है। वादीगण के पिता/पति ने वादग्रस्त आराजी के संबंध में किसी व्यक्ति को आम मुखयार नियुक्त नहीं किया है। चूंकि इनका देहान्त दिनांक 22.02.2012 को हो गया है। वादीगण के पिता/पति ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी में से अपना हक-हिस्सा का किसी प्रकार से बैचान हस्तान्तरण नहीं किया। इनके हक-हिस्से की भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है।

यह है कि वादीगण ने तहसीलदार झंवर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता/पति खुमाराम का देहान्त दिनांक 22.02.2012 को हो चुका है, इस कारण से विरासत का नामान्तरकरण वादीगण के नाम दर्ज किया जावे, लेकिन तहसीलदार झंवर ने किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर नाम दर्ज करने से स्पष्ट मना कर दिया, इस कारण से वादीगण को वाद बाबत खातेदारी घोषणा रेकर्ड डुरुस्ती का प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। प्रतिवादीगण गलत राजस्व रेकर्ड के आधार पर वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जा-काश्त उपयोग-उपभोग में दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया है।

इस कारण से वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री किया जावे कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बोरानाडा तहसील झंवर के खसरा संख्या 32 रकबा 4.19 बीघा (0.8013 हैक्टेयर) में से वादीगण को 1/7 हिस्से का खातेदार-काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि बैचान



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लुणा

हस्तान्तरण मुलकित नही करें तथा कब्जा,काशत उपयोग-उपभोग में दखलअंदाजी नही करें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्ट्र किया गया। प्रतिवादीगण के समन रजिस्ट्र एडी से भेजे गये, उनकी रसीदें अधिवक्ता द्वारा पेश की गईं, जो कि शामिल पत्रावली हैं।

प्रतिवादीगण के जवाबदावा बाबत अनेकानेक अवसर दिये गये, परन्तु जवाब पेश नही किये जाने पर जवाब दावा बंद किया गया। वादीगण अधिवक्ता द्वारा वादी रामेश्वरलाल का साक्ष्य शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 04 तहसीलदार इंवर से जांच रिपोर्ट ली गयी, जो शामिल मिसल की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं विश्लेषण किया। वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। विद्वान वादीगण अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 32 रकबा 4.19 बीघा (0.8013 हैक्टेयर) भूमि में वादीगण को 1/7 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि किसी बैधान हस्तान्तरण नही किया जावे तथा उपयोग-उपभोग में दखलअंदाजी नही करें।

प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद इत्तला कोई जवाब दावा प्रस्तुत नही हुआ।

प्रतिवादीगण संख्या 04 तहसीलदार इंवर ने पत्रांक / कोर्ट / 2024 / 292 दिनांक 08.07.2024 के जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसके द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम बोरानाडा खसरा संख्या 32 रकबा 0.8013 बीघा भूमि के वादीगण के पिता खुमाराम पुत्र शिवाराम हिस्सा 1/7 जाति मेघवाल निवासी चौखा तहसील व जिला जोधपुर के नाम आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज है। इसके नाम से कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (भूमि रूपांतरण) जोधपुर के द्वारा प्रकरण संख्या 1990 / 1989 रकबा 1050 वर्गज का आवासीय पट्टा विलेख जारी किया हुआ



सहायक कमलवटर एव उपखाड अधिकारी,
रणी

4

है, जिसका राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरकरण संख्या 1679 के जरिये आवासीय किस्म दर्ज है। उक्त भूमि पर पक्की चार-दिवारी बनाई हुई तथा अधिकांश भूमि पर पक्के निर्माण किये हुये, शेष भू-खण्डों में विभक्त है, सम्पूर्ण खसरा आवासीय दर्ज होने से राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 88,189,53 के अधिकार प्रोद्भूत नहीं होने के कारण दावा खारिज किये जाने का निवेदन किये जाने का निवेदन किया।

अतः इन तमाम परिस्थितियों में वादीगण का वाद कृपि भूमि से संबधित नहीं होकर आवासीय भूमि जो कि भू-खण्डों में विभक्त होकर अधिकांश भूमि पर पक्के निर्माण होने से विधि द्वारा बाधित होने से राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 88,188,53 के अधिकार प्रोद्भूत नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्या जारी हो।



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणा

निर्णय आज दिनांक.....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणा

डिकरी बमुकदमें इब्दाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 75/2023

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
01.रामेश्वरलाल पुत्र खुमाराम 02.छगनलाल पुत्र खुमाराम 03.बाबुलाल पुत्र खुमाराम 04.केसाराम पुत्र खुमाराम 05.किशोर पुत्र खुमाराम 06.थानाराम पुत्र खुमाराम 07.मोहनी देवी पत्नी खुमाराम जाति मेधवाल निवासीगण ग्राम चौखा तहसील व जिला जोधपुर		01..खीवराज पुत्र प्रमुलाल जाति भंसाली निवासी डी 117 शास्त्रीनगर जोधपुर। 02.शान्तिलाल पुत्र कोजमल जाति बाठिया निवासी आजाद चौक बालोतरा जिला बालोतरा 03.संदीप कुमार पुत्र गणपतचन्द्र पटवारी जाति पटवारी निवासी रावली गली बालोतरा जिला 04.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झवर जोधपुर।

दावा अंतर्गत धारा 88.53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 75/2023 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू-ब-रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुदद्ई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती हैं कि

अतः वादीगण का वाद इन तमाम परिस्थितियों मे वादीगण का वाद कृषि भूमि से सबधित नही होकर आवासीय भूमि जो कि भू-खण्डो मे विभक्त होकर अधिकाश भूमि पर पक्के निर्माण होने से विधि द्वारा बाधित होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अतर्गत धारा 88,53,188 के अधिकार प्रोदभूत नही होने से खारिज किया जाता है।

नीज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.....को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 30.07.2024 को जारी की गई।



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी